फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

पंजाब नेशनल बैंक बनाम मैसर्स दिनेश ट्रेडिंग कम्पनी

प्रकरण संख्या 269/2022 (विविध प्रार्थना पत्र)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
09.05.2022	प्रार्थी वित्तीय संस्था–बैंक ने सरफेशी अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संख्या 104/2018 ब उनवानी पंजाब नेशनल बैंक बनाम मैसर्स दिनेश ट्रेडिंग कम्पनी में पारित आदेश दिनांक 06.08.2019 की पालना करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी अधिवक्ता का कथन है कि माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.08.2019 की पालना कराने के लिए पुलिस द्वारा राशि 1,51,657/–रूपये का डिमाण्ड ड्राफ्ट जमा कराने के बाद भी पुलिस जाब्ता उपलब्ध नहीं कराया गया है। संबंधित पुलिस थाना विधायकपुरी जयपुर दक्षिण से बन्धक सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलवाने बाबत सम्पर्क किया तो पुलिस थाना विधायकपुरी द्वारा एक स्थगन आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को दिखा कर उपरोक्त बन्धक सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने में असमर्थता जाहिर कर दी है। स्थगन आदेश बन्धक सम्पत्ति में रह रहे किरोयदार एवं मकान मालिक से संबंधित था, जिसमें किरायेदार ने मकान मालिक के विरूद्ध स्थगन आदेश प्राप्त किया है। प्रार्थी बैंक ना तो पक्षकार है और ना ही प्रार्थी बैंक उक्त स्थगन आदेश से पाबन्द है। अतः सरफेशी एक्ट की धारा 14 के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.08.2019 के कियान्वयन के अन्तर्गत बन्धक अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने पर किसी भी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं है। धारा 34 के अन्तर्गत ऐसे वाद/प्रकरण किसी भी सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार से परे है। विधिक प्रावधान अनुसार धारा 17 में माननीय डीआरटी को अधिकारिता प्राप्त है। अतः पुलिस उपायुक्त दक्षिण जयपुर एवं थानाधिकारी विधायकपुरी को बन्धक सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलवाने बाबत आदेश प्रदान करें। प्रार्थी अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया किया। पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर दक्षिण एवं थाना प्रभारी विधायकपुरी,जयपुर ने प्रार्थी बैंक के पक्ष में बन्धक सम्पत्ति बाबत मकान मालिक व किरायेदार के मध्य विवाद होने एवं माननीय किराया अधिकरण से बन्धक सम्पत्ति पर स्थगन होने के कारण प्रार्थी बैंक को बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा दिलाने में असमर्थता जाहिर की है । इसलिए प्रार्थी बैंक के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। फलस्वरूप प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। प्रार्थी बैक संबंधित न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर जारी स्थगन बाबत चारःजोही करने के लिए स्वतंत्र है। प्रार्थना पत्र नम्बर से कम हो। 9/05 जिला कलक्टर जयपुर	